उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–1

संख्या 4411/2 (9)-75--राजस्व–1

लखनऊ, 6 जनवरी, 1976

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31, 1975) द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम-जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) की धारा 44 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (पंचम संशोधन) नियमावली, 1976

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (पंचम संशोधन) नियमावली, 1976 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, जहां कहीं भी शब्द "प्रतिकर अधिकारी," "प्रतिकर पत्रावली," "प्रतिकर निर्धारण तालिका" तथा "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत प्रतिकर बंध" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "नियत प्राधिकारी," "निर्धारण पत्रावली," "निर्धारण तालिका" तथा "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत बंध" रख दिये जायेंगे।

नये नियम 4–क का बढ़ाया जाना धारा 6 (2)

3--उक्त नियमावली में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ाया जायगा, अर्थात्

"4–क (1) धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भूमि के अन्तरण की अनुज्ञा के लिये कोई आवेदन-पत्र अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 48 में दिया जायगा।

(2) आवेदन-पत्र कलेक्टर को दिया जायगा और प्रत्येक ऐसे आवेदन-पत्र के साथ सर्वदा खतौनी खसरा के नवीनतम उद्धरण संलग्न किये जायेंगे।

(3) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और उसमें उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् कलेक्टर अपनी टिप्पणियां, यथाशीघ्र, सचिव, उत्तर प्रदेश, सरकार, राजस्व विभाग को भेजेगा।

(4) प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अनुज्ञा प्रदान कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि--

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट भूमि की दशा में--

(1) सम्बद्ध खातेदार प्लान्टेशन को दक्षता और मितव्ययिता पूर्वक चलाने में असमर्थ है, और

(2) अन्तरिती भूमि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये करेगा जिनके लिये उसे छूट दी गई है,

(ख) उक्त उपधारा के खण्ड (ङ) तथा (छ) में निर्दिष्ट भूमि की दशा में--

(1) भूमि उसी प्रकार के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार की संस्था को अन्तरित की जा रही हो, और

(2) भूमि का अन्तरण, यथास्थिति, वर्तमान गोशाला या अश्व क्षेत्र (स्टड फार्म) के उचित अनुरक्षण के लिये आवश्यक है,

(ग) उक्त उपधारा के खण्ड (च) में निर्दिष्ट भूमि की दशा में, विक्रय-आगम की आय का उपयोग अनन्यतः उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिनके लिये संस्था की स्थापना की गई हो।"

नियम 12 का संशोधन

4--उक्त नियमावली में स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्:--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12--धारा 10, 11 तथा 14 के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियां अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 5 के मिसलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जायगी ।	12--धारा 10 और 11 के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियां अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 5 के मिसलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जायेंगी ।

नियम 14 का संशोधन

5--उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 14 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14--(1) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अतिरिक्त भूमि को धारा 14 की उपधारा (4) या (5) क अधीन आपत्तियों क निस्तारण के पश्चात् उसे राज्य में निहित करने क सम्बन्ध में अन्ततः अधिनिर्णय देन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी उस जिल के जहां भूमि स्थित हो, कलेक्टर को उक्त अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 6 की प्रतिलिपि के साथ भूमि पर कब्ज लेने तथा भू-अभिलेखों को ठीक करने के लिए संसूचित करेगा । (2) कलेक्टर अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसके जिले में घोषित अतिरिक्त भूमि के ब्योरे दिये जायेंगे ।	14--धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त भूमि अधिसूचित किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र नियत प्राधिकारी उस जिले के, जहां अतिरिक्त भूमि स्थित हो, कलेक्टर को अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 6 की प्रतिलिपि के साथ भूमि पर कब्जा लेने तथा भू-अभिलेखों को ठीक कराने के लिए संसूचित करेगा ।

नये नियम 14-क तथा 14-ख का गढ़ाया जाना

6--उक्त नियमावली में, नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ाया जायेगा, अर्थात्--

"14-क (1) यदि कोई खातेदार धारा 14 (8) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी भूमि पर कब्जा देने का प्रस्ताव करता है, तो वह अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 47 में कलक्टर को संसूचित करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध नियत प्राधिकारी को भेजेगा ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन संसूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाय तो खातेदार उसकी डाक रसीदों को सबूत के रूप में अपने पास रखेगा । किन्तु यदि संसूचना व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर अथवा नियत प्राधिकारी को दी जाय तो उसकी आवश्यक अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए--

(3) उप नियम (1) के अधीन खातेदार से संसूचना की प्राप्ति के पश्चात् नियत प्राधिकारी धारा 14 (1) के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने के लिये कार्यवाही करेगा ।

(4) अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 47 में निर्दिष्ट भूमि का कब्जा, धारा 14 (8) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसी दिनांक से कलेक्टर को दिया गया समझा जायगा जिस दिनांक को उक्त आकार-पत्र कलेक्टर को यथाविधि दिया अथवा भेजा जाय ।

14--ख (1) कलेक्टर अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसके जिले में घोषित समस्त अतिरिक्त भूमि क ब्योरे दिये जायेंगे ।

(2) कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 14 (8) में निर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि से संबंधित भू-अभिलेखों में आवश्यक शुद्धियां की जाती हैं ।"

नये नियम 18, 18-क और 18-ख का बढ़ाया जाना

7--उक्त नियमावली में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम बढ़ाये जायेंगे, अर्थात्--

"18-(1) जैसे ही कलेक्टर धारा 14 के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेता है या यह समझा जाय कि उसने कब्जा ले लिया है, वह सम्बद्ध नियत प्राधिकारी को प्रत्येक खातेदार के सम्बन्ध में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7 की एक प्रति भेज कर ऐसा कब्जा लिए जाने के दिनांक के सम्बन्ध में सूचित करेगा ।

(2) नियत प्राधिकारी, तदुपरान्त नियम 18–क के अनुसार प्रत्येक खातेदार द्वारा उपयोग तथा अध्यासन के लिये देय क्षति पूर्ति की राशि का अवधारण करेगा।

18–क––नियम 18 में निर्दिष्ट प्रयोग तथा अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति की राशि, उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायगी:––

(क) खण्ड (घ) में यथा उपबन्धित के सिवाय, क्षतिपूर्ति प्रत्येक फसल (खरीफ और रबी) के सम्बन्ध में पृथक-पृथक सुनिश्चित की जायगी।

(ख) 1380 फसली की खरीफ से प्रारम्भ होने वाली प्रथम पांच फसलों के लिये, प्रत्येक फसल के निमित्त क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी।

(ग) 1382 फसली की रबी से प्रारम्भ होने वाली शेष फसलों के लिये प्रत्येक फसल के निमित्त क्षति पूर्ति वार्षिक मालगुजारी के 6 1/4 गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी।

(घ) बाग भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक फसली वर्ष के लिये क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के 5 गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी।

(ङ) क्षतिपूर्ति, अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन सम्बद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी, यदि उस भूमि का जिसके सम्बन्ध में ऐसी राशि देय है, कब्जा 10 अक्टूबर, 1975 के पूर्व धारा 14 (8) के अधीन लिया गया हो।

(च) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रथम पांच फसलों में उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में कुल क्षतिपूर्ति अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन सम्बद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी।

18–ख––(1) नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 49 में एक विवरण-पत्र तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्ध खातेदार पर तामील करेगा।

(2) कोई खातेदार जिस पर अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 49 की प्रतिलिपि तामील की गई हो उसके तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसमें की गई प्रविष्टियों की शुद्धता पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(3) नियत प्राधिकारी यथाशीघ्र आपत्तियों का निस्तारण करेगा, और यदि आवश्यक हो तो अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 49 का संशोधन करेगा। तत्पश्चात् वह उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा।"

8––उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्–– नियम 20 का संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20––(1) अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 3 के खंड (13) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक नियत प्राधिकारी, अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, क्षेत्र के सम्बन्ध में पदेन प्रतिकर अधिकारी होगा। (2) खातेदार की ऐसी अतिरिक्त भूमि से सम्बन्ध में जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रा[illegible] हो गई है, प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां, उस क्षेत्र के प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी, जिसके नियत प्राधिकारी ने खातेदार के अधिकतम क्षेत्र (Ceiling Area) और अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिए कार्यवाहियां की हों।	20––किसी खातेदार की ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गई है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन देय राशि के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां धारा 3 के खंड [illegible] के अधीन अधि[illegible] क्षेत्र के नियत प्रा[illegible] के समक्ष [illegible]गी।

नियम 21 का संशोधन

[illegible]--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

21--जैसे ही धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लें, वह सम्बद्ध खातेदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण तैयार करायेगा और उस प्रतिकर अधिकारी को भेजेगा जिसके अधिक्षेत्र में अतिरिक्त भूमि का प्रतिकर निर्धारित करना तथा उसका भुगतान करना हो :--

(1) अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 में विवरण, जिसमें अतिरिक्त भूमि के ब्योरे दिखाये जायं,

(2) अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 9 में विवरण, जिसमें अतिरिक्त भूमि पर स्थित इमारतों, पक्के कुओं, नलकूपों, सिंचाई की पक्की नालियों और वृक्षों के ब्योरे दिये जायं,

(3) प्रतिकर से समायोजन करके अधिनियम की धारा 41 के अधीन वसूली योग्य मालगुजारी या अन्य आदेयों के बकाये के सम्बन्ध में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 10 में विवरण ।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

21--जैसे ही धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लें, वह सम्बद्ध खातेदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण-पत्र तैयार करायेगा और उस नियत प्राधिकारी को भेजेगा जिसके अधिक्षेत्र में अतिरिक्त भूमि की राशि निर्धारित करना तथा उसका भुगतान करना हो :--

(1) अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 में विवरण-पत्र जिसमें अतिरिक्त भूमि के ब्योरे दिखाये जायेंगे,

(2) अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 9 में विवरण-पत्र जिसमें अतिरिक्त भूमि कर स्थित इमारतों, पक्के कुओं, नलकूपों, सिंचाई की पक्की नालियों और वृक्षों के ब्योरे दिये जायेंगे,

(3) राशि से समायोजन करके अधिनियम की धारा 41 के अधीन वसूली योग्य मालगुजारी या अन्य आदेयों के बकाये के सम्बन्ध में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 10 में विवरण-पत्र ।

नियम 23 का संशोधन

10--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ 2- में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

23--नियम 21 तथा 22-क में उल्लिखित विवरण-पत्र की प्राप्ति पर प्रतिकर अधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार पत्र 11 में एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें उस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदार तथा असामी अथवा शिकमी काश्तकार, यदि धारा 17(2) में कोई उल्लिखित हो, को देय प्रतिकर की धनराशि दिखायी जायगी ।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

23--नियम 21 तथा 22-क में उल्लिखित विवरण-पत्र प्राप्त होने पर नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 11 में एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें अधिनियम के अधीन राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 17 (2) में उल्लिखित खातेदार तथा असामी या शिकमी काश्तकार, यदि कोई हो, को आदेय राशि दिखाई जायगी ।

नियम 24 का संशोधन

11--उक्त नियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

व[illegible]मान नियम

24--प्र[illegible]री, नियम [illegible] के अधीन तैयार किये गये अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 11 के विवरण की सहायता से, उस प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो [illegible]तिकर के लिये हकदार हो, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 12 में प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण तालिका तैयार करायेगा और उसे अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 13 में एक नोटिस के साथ, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर नियम 9 में निर्धारित रीति से तामील करायेगा ।

स्तम्भ-2

एतद्[illegible]तिस्थापित नियम

24--के [illegible] धिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 11 [illegible] से ऐसे प्रत्येक खातेदार के नाम से जो धारा 17 के अधीन देय राशि का हकदार हो, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 12 में प्रस्तावित निर्धारण तालिका तैयार करायेगा और उस अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 13 में एक नोटिस क साथ प्रत्येक ऐसे खातेदार पर नियम 9 में निर्धारित रीति से तामील करायेगा ।

12--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्-- नियम 27 का संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
27--प्रतिकर के लिये हकदार व्यक्ति की प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण तालिका को धारा 20 या 21 के अधीन जैसी भी दशा हो, अन्तिम रूप देते समय, प्रतिकर अधिकारी उस पर निम्नलिखित शब्द लिख कर पृष्ठांकन करेगा :-- "यह तालिका दिनांक...........को प्रतिकर निर्धारण तालिका घोषित की जाती है और प्रतिकर की धनराशि...........रुपये शब्दों में हैं ।" मुहर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक--------------	27--राशि के लिये हकदार व्यक्ति की प्रस्तावित निर्धारण तालिका को, यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन अन्तिम रूप देते समय, नियत प्राधिकारी उस पर निम्नलिखित शब्द लिख कर पृष्ठांकन करेगा :-- "यह तालिका.............रुपये (शब्दों में) के लिये निर्धारण तालिका घोषित की जाती है।" मुहर नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक--------------

13--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्-- नियम 27-द का संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
27-द-नियम 27 (थ) में अभिदिष्ट अनुसूची मुख्य शीर्षक "9-भू-राजस्व" के अधीन भुगतान की सूचियों के साथ, दो प्रतियों में महालेखाकार को भेजी जायेगी ।	27--द-नियम 27(थ) में निर्दिष्ट अनुसूची मुख्य शीर्षक "299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र-पर्वतीय क्षेत्र-ड-अन्य व्यय (29) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण" अथवा "363-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण" जैसी भी स्थिति हो, के अधीन भुगतान की सूचियों के साथ, दो प्रतिलिपियों में, महालेखाकार को भेजी जायेगी ।

14--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्-- नियम 28 का संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
28--नियम 29 के अधीन रहते हुए, प्रतिकर वचन-पत्रों (promissory notes) के रूप में विनिमय योग्य बन्धों (Negotiable Bonds) में दिया जायगा, जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत प्रतिकर बन्ध (Uttar Pradesh Land Ceiling Compensation Bonds) कहा जायगा ।	28--नियम 29 के अधीन रहते हुए, राशि वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट) के रूप में विनिमय योग्य बंधों (निगोशियेबिल बांड) में दी जायगी जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत बंध कहा जायगा ।

15--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्-- नियम 29 का संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29-(1) यदि किसी व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में देय कुल धनराशि 1,000 रुपये से अधिक न हो तो कुल धनराशि और यदि यह धनराशि 1,000 रुपये से अधिक हो जाय तो 1,000 रुपये की एक मुश्त नकद धनराशि का भुगतान किया जायगा। (2) उपनियम(1) में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी समस्त धनराशियों का भी, जो बन्धों (Bonds) द्वारा नहीं दी जा सकती, नकद भुगतान किया जायगा।	29 (1) यदि धारा 17 के अधीन किसी व्यक्ति को देय कुल राशि 1,000 रुपये से अधिक न हो तो कुल राशि, और यदि यह राशि 1,000 रुपये से अधिक हो जाय तो 1,000 रुपये की एक-मुश्त नकद राशि का भुगतान किया जायगा । (2) उपनियम (1) में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त ऐसी समस्त राशि का भी जो बंधों के अन्तर्गत नहीं आती नकद भुगतान किया जायगा ।

नियम 33 का संशोधन

16--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

33-(1) किस्तें, उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे कोषागार (Treasury) या उप-कोषागार (Sub-treasury) में देय होंगी जिसका नाम किस्त के भुगतान के लिये बन्ध पर अंकित किया गया हो।

(2) यदि वह व्यक्ति, जो प्रतिकर का हकदार हो, जिस तहसील में प्रतिकर का निर्धारण हुआ हो, उससे भिन्न तहसील के कोषागार या उप-कोषागार का नाम बन्ध में अंकित कराने का इच्छुक हो, तो वह प्रस्तावित प्रतिकर- निर्धारण तालिका की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र प्रतिकर अधिकारी को ऐसे कोषागार या उप-कोषागार का नाम सूचित करेगा और प्रतिकर अधिकारी तदनुसार बन्धों को मंगायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

33 (1) किस्त, उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे कोषागार या उप-कोषागार में देय होगी जिसका नाम किस्त के भुगतान के लिये बन्ध पर अंकित किया गया हो।

(2) यदि वह व्यक्ति जो राशि का हकदार हो, जिस तहसील में राशि का निर्धारण हुआ हो, उससे भिन्न तहसील के कोषागार या उप-कोषागार का नाम बंध में अंकित कराने का इच्छुक हो तो वह प्रस्तावित निर्धारण तालिका की प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र नियत प्राधिकारी को ऐसे कोषागार या उप-कोषागार का नाम सूचित करेगा और कोषागार अधिकारी तदनुसार बंधों के लिये मांग-पत्र भेजेगा।

नियम 36 का संशोधन

17--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम,

36-(1) प्रतिकर के हकदार किसी व्यक्ति को देय प्रतिकर की धनराशि अन्तिम रूप से अवधारित हो जाने और अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 में रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज किए जाने के बाद, प्रतिकर अधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 15 में बन्धों के लिये मांग पत्र की चार प्रतियां तैयार करायेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को देय बन्धों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या दिखाई जायगी। प्रतिकर अधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 15 के केवल 1 से 13 तक के स्तम्भों को भरेगा और अपना यह समाधान कर लेने के बाद कि उनमें प्रविष्टियां (entries) ठीक-ठीक की गई हैं, प्रत्येक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और मुहर लगायेगा और मंगाए हुए (indented) बंधों के कुल मूल्य को, मूल तथा उसकी प्रतियों में अपने हाथ से शब्दों में लिखेगा। वह तीन प्रतियां लोक-ऋण कार्यालय, को अनुपालन के लिये भेजेगा और मूल प्रति अपने पास रख लेगा जो एक जिल्द बंधे हुए रजिस्टर के आकार में जो उसे (प्रतिकर अधिकारी को) दिया जायगा, रखी जायगी, जिसके (रजिस्टर के) प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या डाली जायगी। प्रतियां अतिरिक्त आकार-पत्रों पर जो अलग से दिये जायेंगे, तैयार की जायंगी और ऐसी प्रत्येक प्रति पर उस मूल प्रति की पृष्ठ संख्या दी जायगी जिससे वह तैयार की गई है।

(2) प्रतिकर अधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 16 में बंधों के मांग-पत्रों का एक सारांश रजिस्टर (abstract register) भी रखेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

36 (1) राशि के हकदार किसी व्यक्ति को देय राशि अन्तिम रूप से अवधारित हो जाने और अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 में रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के बाद, नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 15 में बंधों के लिये मांग-पत्र की चार प्रतिलिपियां तैयार करायेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को देय बन्धों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या दिखाई जायगी। नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 15 के केवल 1 से 13 तक के स्तम्भों को भरेगा और अपना यह समाधान कर लेने के बाद कि उनमें प्रविष्टियां ठीक-ठीक की गई हैं प्रत्येक प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करेगा और मुहर लगायेगा और मंगाये हुए बंधों के कुल मूल्य को, मूल और उसकी प्रतिलिपियों में अपने हाथ से शब्दों में लिखेगा। वह तीन प्रतिलिपियां लोक ऋण कार्यालय को अनुपालन के लिये भेजेगा और मूल प्रतिलिपि अपने पास रख लेगा जो एक जिल्द बंधे हुए रजिस्टर के आकार में, जो उस (नियत प्राधिकारी) को दिया जायगा, रखी जायेगी, जिसके (रजिस्टर के) प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या डाली जायेगी। प्रतिलिपियां अतिरिक्त आकार पत्रों पर, जो अलग से दिये जायेंगे, तैयार की जायेंगी और ऐसी प्रत्येक प्रतिलिपि पर उस मूल प्रतिलिपि की पृष्ठ संख्या दी जायगी जिससे वह तैयार की गई है।

(2) नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 16 में बंधों के मांग-पत्रों का एक सारांश रजिस्टर भी रखेगा।

नियम 42 का संशोधन

1 .--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

42-प्रतिकर अधिकारी नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि पर बेदखली (dispossession) के दिनांक से, धारा 20 या धारा 21, जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रतिकर के अवधारण के दिनांक तक 3 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज लगायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

42--नियत प्राधिकारी नकद भुगतान की जाने वाली राशि पर बेदखली के दिनांक से, यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन प्रतिकर के अवधारण के दिनांक तक $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज लगायेगा।

नियम 43 (1) का संशोधन

19--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान उप नियम

43-(1) प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर के लिये हकदार व्यक्ति को अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 20 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे यह निदेश किया जायगा कि वह निर्दिष्ट दिनांक पर बन्ध ले ले और या नकद भुगतान प्राप्त कर लें। इस प्रकार निर्दिष्ट किये गये दिनांक पर प्रतिकर अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता को बन्ध देगा और/या अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर द्वारा नकदी में भुगतान करेगा और प्राप्ति के प्रतीकस्वरूप प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर वाउचर और/या अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 22 पर, जैसी भी दशा हो, करायेगा। अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 22 में प्राप्त रसीद खातेदार की पत्रावली के साथ फाइल कर दी जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

43 (1) नियत प्राधिकारी राशि के लिये हकदार व्यक्ति को अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 20 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे यह निदेश दिया जायगा कि वह निर्दिष्ट दिनांक पर बन्ध ले ले और/या नकद भुगतान प्राप्त कर ले। इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक को नियत प्राधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता को बन्ध देगा और/या अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर द्वारा नकदी में भुगतान करेगा और प्राप्ति के प्रतीक-स्वरूप प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर वाउचर और/या अ0जो0 सी0 आकार-पत्र 22 पर, जैसी भी दशा हो, करायेगा। अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 22 में प्राप्त रसीद खातेदार की फाइल के साथ नत्थी कर दी जायगी।

नियम 48 का संशोधन

20--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

48-(1) यदि प्रतिकर अवधारित कर दिया गया हो, किन्तु वह व्यक्ति, जो उसे पाने का हकदार हो, प्रतिकर दिये जाने के पूर्व ही मर जाय, तो प्रतिकर अधिकारी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को अवधारित करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(2) यदि प्रतिकर की धनराशि ऐसी हो, जो नकदी में देय हो, तो उसका भुगतान पूर्वोक्त रीति से अवधारित विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 29 में वाउचर द्वारा किया जायगा।

(3) यदि प्रतिकर की धनराशि ऐसी हो, जो बन्धों में देय हो तो ये बन्ध विधिक प्रतिनिधियों के नाम से मंगाये जायेंगे और उन्हें दिये जायेंगे। किन्तु यदि बन्ध विधिक प्रतिनिधियों का अवधारण होने के पूर्व मंगाये गये हों अथवा प्राप्त कर लिए गये हों, तो वे प्रत्येक बन्ध के पृष्ठ (back) पर निम्नलिखित रूप में एक अनुलेख करने के पश्चात्, जिस पर यथावत्, दिनांक और मुहर सहित प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, उक्त विधिक प्रतिनिधियों को दे दिये जायेंगे :--

कृपया श्री/सर्वश्री....................को भुगतान कीजिए, जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 22 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये ....के विविध वाद सं0............में प्रतिकर पाने के हकदार स्वर्गीय श्री...............का विधिक प्रतिनिधि अवधारित किया गया है।

मुहर हस्ताक्षर.............

तहसील..............

जिला..............

दिनांक..............

(4) नकदी में या बन्धों में प्रतिकर पाने के प्रतीक स्वरूप अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 या अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 22 पर, जैसी भी दशा हो, विधिक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

48 (1) यदि राशि अवधारित कर दी गयी हो, किन्तु वह व्यक्ति, जो उसे पाने का हकदार हो, राशि दिये जाने के पूर्व ही मर जाय, तो नियत प्राधिकारी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को अवधारित करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(2) यदि राशि ऐसी हो जो नकदी में देय हो तो उसका भुगतान पूर्वोक्त रीति से अवधारित विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर द्वारा किया जायगा।

(3) यदि राशि ऐसी हो जो बन्धों में देय हो तो ये बन्ध विधिक प्रतिनिधियों के नाम से मंगाये जायेंगे और उन्हें दिये जायेंगे। किन्तु, यदि बन्ध विधिक प्रतिनिधियों का अवधारण होने के पूर्व मंगाये गये हों अथवा प्राप्त कर लिये गये हों तो वे प्रत्येक बन्ध के पृष्ठ पर निम्नलिखित रूप में एक अनुलेख करने के पश्चात् जिस पर यथावत् दिनांक और मुहर सहित नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, उक्त विधिक प्रतिनिधियों को दे दिये जायेंगे:--

कृपया श्री/सर्वश्री...................को भुगतान कीजिए, जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 22(1) के प्रयोजन के लिए.................के विविध वाद संख्या ....में राशि पाने के हकदार स्वर्गीय श्री...................का विधिक प्रतिनिधि अवधारित किया गया है।

मुहर हस्ताक्षर...............

तहसील ....

जिला ....

दिनांक..............

(4) नकदी में या बंधों में राशि पाने के प्रतीक स्वरूप यथास्थिति, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 या अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 22 पर विधिक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सदैव प्राप्त किए जायेंगे।

उप नियम 52 (2) का संशोधन

21--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
52-(2) उस दशा में जब सम्बद्ध व्यक्ति को देय प्रतिकर में से बाकी धनराशियों को कटौतियां करनी हों, प्रतिकर अधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 34 में एक वाउचर तैयार करेगा और उसमें कटौतियों की उस धनराशि को दर्ज करेगा जो संक्रामण से जमा द्वारा संधानित (adjusted by transfer credit) की जानी है और उसे तहसीलदार के पास भेज देगा जो अपेक्षित संधान करेगा।	52 (2) उस दशा में जब सम्बद्ध व्यक्ति को देय राशि में से बाकी धन राशि की कटौती करनी हो तब नियत प्राधिकारी अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 34 में एक वाउचर तैयार करेगा और उसमें कटौतियों की उस राशि को दर्ज करेगा जो अन्तरण जमा द्वारा समायोजित की जानी है और उसे तहसीलदार के पास भेज देगा जो अपेक्षित समायोजन करेगा।

नियम 54 का संशोधन

22--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
54--यदि धारा 23 के उपबन्धों के अधीन कोई न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से यह अपेक्षा करे कि वह किसी खातेदार या उसके असामी या शिकमी काश्तकार (sub-tenant) को देय प्रतिकर की धनराशि उसके (न्यायालय या प्राधिकारी के) अधिकार में रखे तो प्रतिकर अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :---	54--यदि धारा 23 के उपबन्धों के अधीन कोई न्यायालय या प्राधिकारी नियत प्राधिकारी से यह अपेक्षा करे कि वह किसी खातेदार या उसके असामी या शिकमी काश्तकार को देय राशि उसके (न्यायालय या प्राधिकारी के) अधिकार में रखे तो नियत प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा:--
(क) जब प्रतिकर की धनराशि अवधारित हो गई हो और वह बन्धों के रूप में तथा/अथवा नकदी में देय हो, तो प्रतिकर अधिकारी उतनी धनराशि के, जिसको न्यायालय या प्राधिकारी अपेक्षित करे, बन्धों तथा/अथवा नकदी को उसके अधिकार में निम्नलिखित रूप से रख देगा।	(क) जब प्रतिकर की राशि अवधारित हो गई हो और वह बन्धों के रूप में और/या नकदी में देय हो तो नियत प्राधिकारी उतनी धनराशि के जितनी न्यायालय या प्राधिकारी अपेक्षा करे, बन्धों और/या नकदी को उसके अधिकार में निम्नलिखित रूप में रखेगा:--
(1) यदि नकदी में देय धनराशि को मिलाकर बन्धों का कुल मूल्य उस धनराशि के बराबर या उससे कम हो, जिसकी न्यायालय या प्राधिकारी ने अपेक्षा की हो, तो सब बन्ध और नकद धनराशि उसके अधिकार में रख दी जायगी,	(1) यदि नकदी में देय राशि को मिलाकर कुल मूल्य उस राशि के बराबर या उससे कम हो जिसकी न्यायालय या प्राधिकारी ने अपेक्षा की हो तो सब बन्ध और नकद राशि उसके अधिकार में रख दी जायगी।
(2) यदि बन्धों का कुल मूल्य उस धनराशि से कम हो, जिसकी न्यायालय या प्राधिकारी ने अपेक्षा की हो, किन्तु वह मूल्य नकदी में देय धनराशि को मिला कर इस प्रकार अपेक्षित धनराशि से अधिक हो, तो वह उक्त न्यायालय या अधिकारी के अधिकार में प्रथमतः बन्धों में और अवशेष (Balance) नकदी में रख दी जायगी।	(2) यदि बन्धों का कुल मूल्य उस राशि से कम हो जिसकी न्यायालय या प्राधिकारी ने अपेक्षा की हो, किन्तु वह नकदी में देय राशि को मिलाकर इस प्रकार अपेक्षित राशि से अधिक हो तो वह उक्त न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में प्रथमतः बन्धों में और अवशेष नकदी में रख दी जायगी।
(3) यदि बन्धों का मूल्य उस धनराशि से अधिक हो, जिसकी अपेक्षा न्यायालय या प्राधिकारी ने की हो, तो प्रतिकर अधिकारी न्यूनतम अंकित मूल्य के उपलब्ध बन्धों सहित ऐसे बन्ध भेजेगा, जिन सब का कुल मिलाकर मूल्य उस धनराशि से कम से कम अधिक हो, जिसके भेजने के लिये न्यायालय या प्राधिकारी ने, जैसी भी दशा हो, अपेक्षा की हो।	(3) यदि बन्धों का मूल्य उस राशि से अधिक हो जिसकी अपेक्षा न्यायालय या प्राधिकारी ने की हो तो नियत प्राधिकारी न्यूनतम अंकित मूल्य के उपलब्ध बंधों सहित ऐसे बन्ध भेजेगा जिन सबका कुल मिलाकर मूल्य उस राशि से कम से कम अधिक हो, जिसके भेजने के लिये, यथास्थिति, न्यायालय या प्राधिकारी ने अपेक्षा की हो।
(ख) प्रत्येक दशा में बन्ध सम्बद्ध खातेदार या उसके असामी या शिकमी काश्तकार, जैसी भी दशा हो, के नाम से ही प्राप्त किए जायेंगे। डिग्रीदार (Decree holder) के पक्ष में उसका अनुलेख आवश्यकतानुसार उस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसने उक्त धनराशि अपने अधिकार में रख दिये जाने की अपेक्षा की हो।	(ख) प्रत्येक दशा में बंध सम्बद्ध खातेदार या उसके असामी या शिकमी काश्तकार के, जैसी भी दशा हो, नाम से ही प्राप्त किये जायेंगे। डिक्रीदार के पक्ष में उसका अनुलेख आवश्यकतानुसार उस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा जिसने उक्त राशि की अपेक्षा की हो।

नियम 59 (3) का संशोधन

23--उक्त नियमावली में, स्तम्भ -1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रखा जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ 1 वर्तमान उपनियम 59 (3)	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 59 (3)
59--(3) इसके प्रतिकूल किसी लिखित संविदा के अधीन रहते हुए उपनियम (2) में अभिविष्ट प्रत्येक बन्दोबस्त की दशा में निम्नलिखित निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित समझी जायंगी :	59--(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक बन्दोबस्त की दशा में निम्नलिखित निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित समझी जायेंगी, अर्थात्--
(क) पट्टेदार को भूमि में मौरूसी अधिकार होगा और उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के उपबन्धों द्वारा जैसा कि सीरदारों पर लागू है, नियंत्रित होगा;	(क) पट्टेदार को भूमि में मौरूसी अधिकार होगा और उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० के उपबन्धों द्वारा जैसा सीरदारों पर लागू है, नियंत्रित होगा;
(ख) पट्टेदार भूमि का उपयोग खेती अथवा कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रयोजन के लिये करेगा।	(ख) पट्टेदार भूमि का केवल खेती के लिये या कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग करने का हकदार होगा;
(ग) खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पट्टेदार न तो भूमि का हस्तान्तरण करेगा और न उसे शिकमी पट्टे पर देगा।	(ग) खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार न तो भूमि का अन्तरण करेगा और न उसे शिकमी पट्टे पर देगा;
(घ) पट्टेदार कृषि विकास के लिए राज्य सरकार किसी सहकारी समिति अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से या किसी अन्य बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 की धारा (2) (ई) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंक हो अथवा उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये जाने वाले ऋण के निमित्त भूमि में अपना हित बिना भोग बन्धक के प्रतिभूति के रूप में रखने का हकदार होगा, और	(घ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 (2) के अनुसार भूमि बन्धक रखने (जिसके अन्तर्गत प्रभार भी है) का अधिकार होगा;
(ङ) पट्टेदार राज्य सरकार को इस प्रकार बन्दोबस्त की गयी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा वार्षिक लगान देगा जो भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर प्रगणित धनराशि का दुगुना होगा, जिसका बन्दोबस्त के समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा।	(ङ) पट्टेदार राज्य सरकार को इस प्रकार बन्दोबस्त की गई भूमि के सम्बन्ध में ऐसा वार्षिक लगान देगा जो भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर प्रगणित राशि का दुगुना होगा, जिसका बन्दोबस्त के समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

नियम 64 का संशोधन

24--मूल नियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये नियमों के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रखे जायेंगे, अर्थात्--

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
64-धारा 13, 14 (5) तथा 21 (2) के अधीन दायर की जाने वाली प्रत्येक अपील पर 15 रुपये का न्यायालय शुल्क लिया जायगा।	64-राज्य सरकार से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारा 13 या धारा 21 (2) के अधीन दायर की जाने वाली प्रत्येक अपील पर पन्द्रह रुपये की न्यायालय फीस देय होगी।
	65-धारा 27 (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक सामान्य या विशेष आदेश के प्रकाशन पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 343 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7 का प्रतिस्थापन

25--उक्त नियमावली में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7 के स्थान पर निम्नलिखित आकार-पत्र रखा जायगा, अर्थात्--

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 7

(नियम 14-ख देखिये)

अतिरिक्त भूमि का रजिस्टर

क्रम-संख्या	तहसील	गांव	खतौनी/खाता संख्या	खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास-स्थान	मौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8

लागू मौरूसी दर	कुओं, इमारतों और वृक्षों आदि का ब्यौरा	कब्जा लेने का दिनाँक	कलेक्टर के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 9 का प्रतिस्थापन

26--उक्त नियमावली में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 9 के स्थान पर निम्नलिखित आकार-पत्र रखा जायगा, अर्थात्--

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 9

[नियम 21 (2) देखिये]

पत्रावली संख्या................ (नियत प्राधिकारी द्वारा भारा जायगा) जिला..................

तहसील-----------------

विवरण, जिसमें------------------खातेदार की अतिरिक्त भूमि पर स्थित इमारतों, पक्के कुओं, नल-कूपों, नालियों और वृक्षों के ब्योरे दिखाये गये हैं--

मद	गाटा या खतौनी खाता जिस पर स्थित हो, के सम्बन्ध में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8	खतौनी के भाग 2 की खाता संख्या	निर्माण का वर्ष (वृक्षों को छोड़कर)	उसी प्रकार की इमारत, पक्का कुआँ, नलकूप या नाली, जो प्रयोग में हों, के बनाने की लागत	अन्य ब्योरे	अभ्युक्ति	अवधारित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
इमारत	..	..	..	वर्ग फुट में निर्मित क्षेत्र--सकल वार्षिक भाटक मूल्य आबादी/निकटतम बाजार से लगभग दूरी एक मंजिली/दो मंजिली/कच्ची/पक्की/मिली-जुली			

1	2	3	4	5	6	7	8
जो प्रयोग में है--							
पक्का कुआं							
नलकूप							
नाली							
जो प्रयोग में नहीं है--							
पक्का कुआं	..	..	..	गुलाई (सिलिंडर) और जगत की सामग्री की लागत रुपया			
नाली	..	..	..	नाली की सामग्री की लागत रुपया			
फल वाले वृक्ष	..	..	..	वृक्षों की कुल संख्या फल की फसलों के 20 वर्ष का मूल्यांकन रुपया औसत रुपया			
फल के ऐसे नये वृक्ष जिनमें अभी फल न लगे हों	..	..	..	पौधों की संख्या पौधों की लागत रुपया रोपण तथा श्रम पर व्यय रुपया योग रुपया			
इमारती लकड़ी के वृक्ष	..	..	..	वृक्षों की कुल संख्या ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना			

मुहर

परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर के हस्ताक्षर

दिनांक

टिप्पणी--(1) पक्का कुआं या नाली की दशा में, जो प्रयोग में न हो, सामग्री की लागत का अनुमान सामग्री की वर्तमान दशा के अनुसार लगाया जायगा।

(2) स्तम्भ 8 नियत प्राधिकारी द्वारा भरा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 10 का संशोधन

27--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 10 में, उसके मुख्य शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर से समायोजन" के स्थान पर शब्द "राशि से समायोजन" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 11 का संशोधन

28--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 11 में,

(1) उसके मुख्य शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

(2) स्तम्भ 13 में, शब्द "देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखा जायगा।

(3) स्तम्भ 19 में, शब्द "देय वास्तविक प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "देय वास्तविक राशि" रखा जायगा;

(4) भाग 2 में, स्तम्भ 10 और 16 में, शब्द "देय प्रतिकर" और "देय वास्तविक प्रतिकर" के स्थान पर क्रमशः शब्द "देय राशि" और "देय वास्तविक राशि" रखे जायेंगे;

(5) भाग 3 में, स्तम्भ 8 में, शब्द "देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखा जायगा;

(6) पाद टिप्पणी में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" और शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 12 का संशोधन

29--उक्त नियमावली, में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 12 में,

(1) स्तम्भ 6 में, शब्द "देय प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखा जायगा;

(2) स्तम्भ 7 में, शब्द "देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखा जायगा;

(3) स्तम्भ 9 में, शब्द "देय प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखा जायगा;

(4) स्तम्भ 11 में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा;

(5) स्तम्भ 15 में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा;

(6) स्तम्भ 17 में, शब्द "प्रतिकर देय होता है" के स्थान पर शब्द "राशि देय होती हो" रखे जायेंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 13 का संशोधन

30--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 13 में, शब्द "प्रतिकर", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 और 15 का संशोधन

31--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 और 15 में, शब्द "उनके प्रतिकर" और शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "उनकी राशि" और "राशि" रखे जायेंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 20 का संशोधन

32--उक्त नियमावली में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 20 में, शब्द "प्रतिकर की शुद्धि धनराशि" के स्थान पर शब्द "देय शुद्ध राशि" रखे जायेंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार पत्र 21 का संशोधन

33--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 में शब्द "किया गया प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "की गयी राशि" और शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 24 का संशोधन

34--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 24 में--

(1) पैरा 1 में, शब्द "प्रतिकर उसे देय अवधारित किया गया था" के स्थान पर शब्द "राशि उसे देय अवधारित की गयी थी" रखे जायेंगे।

(2) पैरा 2 के उपपैरा 5 में, शब्द "देय प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "देय राशि" रखे जायेंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 32, 33 और 34 का संशोधन

35--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 32, 33 और 34 में, जहां कहीं शब्द "प्रतिकर" और शब्द "प्रतिकर की धनराशि" आये हों, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 38 और 39 का संशोधन

36--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 38 और 39 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रतिकर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा।

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 44 का संशोधन

37--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 44 में, शीर्षक में बजट शीर्षक "1--भू-राजस्व--अभ्यर्पण और प्रतिकर (घ) वक्फ, न्यास, विन्यास तथा संस्था को देय वार्षिकी," के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित बजट शीर्षक रखा जायगा--

"299--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र--पर्वतीय क्षेत्र--ङ--अन्य व्यय--(29) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण;

(ग) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर।" अथवा "363--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण--

(घ) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर" (जैसी भी स्थिति हो)।

38--उक्त नियमावली में, अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 46 के पश्चात् निम्नलिखित नये आकार पत्र बढ़ाये जायेंगे, अर्थात्-- नये अ0 जो0 सी0 आकार पत्र 47 से अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 49 तक का बढ़ाया जाना

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 47
(नियम 14-क देखिये)

सेवा में,

कलेक्टर,

जिला----------------

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 14 (8) के अधीन अधोहस्ताक्षरी आप को सूचित करता है कि अधोहस्ताक्षरी आपको नीचे सुविस्तृत भूमि का स्वैच्छिक कब्जा देता है जिसे नियत प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी के दिनांक------------------ के आदेश से अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया है या जिसे अतिरिक्त भूमि घोषित करने की सम्भावना है। एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है, कि ऐसी भूमि में अधोहस्ताक्षरी का कोई अधिकार, आगम या स्वत्व नहीं है।

भूमि का ब्योरा

खातेदार का नाम	जिला	तहसील	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

खातेदार के हस्ताक्षर

पितृनाम----------------------------

निवास स्थान------------------------

दिनांक------------------------------

प्रतिलिपि, नियत प्राधिकारी------------------को अग्रसारित

खातेदार के हस्ताक्षर

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 48
(नियम 4-क देखिये)
भूमि अन्तरण की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार,

राजस्व विभाग,

विधान भवन,

लखनऊ।

द्वारा

कलेक्टर,

महोदय,

आवेदक का निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 6 (2) के अधीन नीचे स्तम्भ संख्या 4 में विनिर्दिष्ट भूमि को अन्तरित करने की अनुज्ञा कृपया प्रदान की जाय। आवेदक द्वारा धृत भूमि का ब्योरा नीचे उल्लिखित है--

1--आवेदक का नाम, पितृनाम और पता--------------------------------

2--आवेदन करने के दिनांक को आवेदक द्वारा धृत कुल सिंचित भूमि के अर्थों में उसका क्षेत्रफल (जैसा कि अनुलग्नक में स्पष्ट किया गया है)--------------------------------

3--क्या भूमिधर या सरकारी पट्टेदार आदि के रूप में धृत है ?--------------------------------

4--सिंचित भूमि के अर्थों में अन्तरण के लिये प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल (जैसा कि अनुलग्नक 2 में स्पष्ट किया गया है)--------------------------------

5--अन्तरण के लिये अनुज्ञा चाहने का कारण--------------------------------

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये और अनुलग्नक 1 और 2 में दिये गये ब्योरे सही हैं।

दिनांक----------------

स्थान----------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 48 का अनुलग्नक–1

श्री———————————भूमिधर (वक्फ, न्यास विन्यास संस्था का नाम) के प्रबन्धक/मुतवल्ली/न्यासी/निवासी——————ग्राम——————तहसील——————जिला—————————————द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का ब्योरा

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	गांव	मौमिक अधिकार का वर्ग	खाता खतौनी की संख्या	छूट का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (अधिनियम की धारा 4 के अर्थों में)
1	2	3	4	5	6	7	8

सिंचित		एकल फसल वाली भूमि		असिंचित		बाग भूमि		ऊसर भूमि		देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी
गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्र0 जो0 सी0 आकार-पत्र 48 का अनुलग्नक–2

भूमि का विवरण जिसका अ———————————निवासी——————ग्राम——————,
तहसील——————————जिला ——————अन्तरण करना चाहते हैं ।

जिला	तहसील	गांव	भौमिक अधिकार का वर्ग	खाता खतौनी संख्या]	क्षेत्रफल					
					सिंचित		एकल फसल वाली भूमि		अंसिंचित	
					गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ऊसर भूमि		बाग भूमि		सामान्य एकड़ों में कुल क्षेत्रफल	देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी
गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल		
12	13	14	15	16	17

आवेदक के हस्ताक्षर

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 49

(नियम 18-ख देखिये)

खातेदार का नाम और पता	अतिरिक्त भूमि का ब्योरा जिसके उपयोग और अध्यासन के लिये क्षति-पूर्ति का वसूल किया जाना अपेक्षित है	दर जिस पर क्षतिपूर्ति की गयी है	अवधि जिसके लिये क्षति-पूर्ति वसूल की जानी है	उपयोग और अध्यासन के लिये क्षति-पूर्ति की सकल राशि	अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन खातेदार को देयराशि	उपयोग और अध्यासन के लिए क्षति-पूर्ति की शुद्ध राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

मुहर

नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:--दिनांक 12 जुलाई, 1973 तक यथा परिष्कृत तथा संशोधित

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 को पश्चात्वर्ती नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं के अधीन संशोधित किया गया :--

1--संख्या 11/11-3 (2)--73-राजस्व-1, दिनांक 20 जुलाई, 1974 ई0।

2--संख्या 2 (2)/75-राजस्व-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975

3--संख्या 1127/राजस्व-1-2 (3)-75, दिनांक 18 जून, 1975

4--संख्या 1-67/75-राजस्व-1, दिनांक 18 सितम्बर, 1975